क्रम-संख्या—286.

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 29 नवम्बर, 2005

अग्रहायण 08, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1342/सात-वि-1—1(क)-27-2005

लखनऊ, 29 नवम्बर, 2005.

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 29 नवम्बर, 2005 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2005)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

(2) यह 13 सितम्बर, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1973 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (क) में स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

"प्रतिबन्ध यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि पर व्यक्तिगत प्रयोग के लिये किसी गृह के निर्माण या उसकी मरम्मत, आधुनिकीकरण या विस्तार और गैर परम्परागत या वैकल्पिक ऊर्जा संयंत्र एवं मशीन का क्रय, संग्रह और अर्जन या उससे सम्बन्धित अन्य विषयों को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कृषि प्रयोजन समझा जाएगा।"

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अध्यादेश, 2005 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2005

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) में अन्य बातों के साथ-साथ किसानों द्वारा कृषि एवं कृषि प्रयोजन हेतु बैंक से ऋण लेने का प्राविधान है, किन्तु कृषि प्रयोजन की परिभाषा में ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि पर व्यक्तिगत प्रयोग के लिए किसी गृह के निर्माण या उसकी मरम्मत, आधुनिकीकरण या विस्तार और गैर परम्परागत या वैकल्पिक ऊर्जा संयंत्र एवं मशीन का क्रय, संग्रह और अर्जन और उससे सम्बन्धित अन्य विषयों को सम्मिलित नहीं किया गया था जिससे किसान उक्त प्रयोजनों हेतु बैंक से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते थे। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि किसानों द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए भी बैंक से ऋण लिये जा सकने की व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 2005 को उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2005) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राम हरि विजय त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1342/VII-1—1(Ka)-27-2005
Dated Lucknow, November 29, 2005

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Udhar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24 of 2005) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 29, 2005.

THE UTTAR PRADESH AGRICULTURAL CREDIT (AMENDMENT) ACT, 2005

(U.P. Act no. 24 of 2005)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Agricultural Credit Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Agricultural Credit (Amendment) Act, 2005.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 13, 2005.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 19 of 1973

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Agricultural Credit Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, in clause *(a)* before the Explanation the following proviso shall be *inserted*, namely :–

"Provided that the construction of a house for personal use in rural area on abadi land or the repair, modernization or extension thereof and purchase, storage and acquisition of non-conventional or alternate energy plant and machinery or matters connected therewith shall be deemed to be an agricultural purpose for the purposes of this Act."

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 8 of 2005

3. (1) The Uttar Pradesh Agricultural Credit (Amendment) Ordinance, 2005 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Agricultural Credit Act, 1973 (U.P. Act no. 10 of 1973) *inter alia* provides for taking of loans from the Bank by Agriculturists for Agriculture and Agricultural purposes but the construction of a house for personal use in rural area on abadi land or repair, modernisation or extension thereof and purchase, storage and acquisition of non conventional or alternate energy plant and machinery and matters connected therewith were not included in the definition of agriculture purpose due to which the agriculturist could not get loans from the Bank for the said purposes. It was, therefore, decided to amend the said Act to provide for taking of loans from the Bank by the agriculturists for the said purposes also.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Agricultural Credit (Amendment) Ordinance, 2005 (U.P. Ordinance no. 8 of 2005) was promulgated by the Governor on September 13, 2005.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

RAM HARI VIJAI TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1993 राजपत्र (हि०)–(2695)–2005– 597 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 109 सा० विधायी–2005–(2696)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।